परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क्र.सं.	परियोजना विवरण :–	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत दोफाड़, धरमघर,कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य वैकल्पिक संरेखण न होने के कारण मार्ग को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। विस्तृत विवरण प्रतिवेदन में दिया गया है।
	ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	प्रस्ताव 5 हैक्टेयर से कम का है। अतः लागू नहीं है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 300 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। स्थानीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रुकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	वन पंचायत भूमि – 0.700 है0 सिविल सोयम भूमि– 1.400 है0 कुल वन भूमि – 2.100 है0 नाप भूमि– 0.700 है0 कुल भूमि – 2.800 है0 (कच्चा ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण,	आवश्यकता नहीं है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड नि0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0, कपकोट
बागेश्वर